

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरोक्त होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
579)	389	श्रीमती देविका	543	3.04	श्रीमती देविका	543	3.04
		पुत्र	545	4.67	पुत्र	545	4.67
		शंकर जी			शंकर जी		
		गौड़			गौड़		
		शेखरदास			शेखरदास		
		गौड़			गौड़		

812

शिव प्रभारी  
शिव प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
PEKSA-2021, प.स. मौलासर  
दिनांक :-

क्रमांक :- 181  
प्रतिनिधि पालनार्थ :- 12.10.21

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिव प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
PEKSA-2021, प.स. मौलासर  
दिनांक :-

क्रमांक :-  
प्रतिनिधि पालनार्थ :-  
पट्टदार इन्द्राज 579)  
पालन सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर